

प्रलिमिस फैक्ट्स: 06 अगस्त, 2021

- [प्लास्टिक-मशिरति हस्तनरिमति कागज़](#)
- [ई-जेल परियोजना](#)

प्लास्टिक-मशिरति हस्तनरिमति कागज़

Plastic-Mixed Handmade Paper

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **खादी एवं ग्रामोदयोग आयोग (KVIC)** ने [प्लास्टिक](#) के प्रयोग से नजित पाने के लिये प्राकृतिक रूप से वकिसति अपने प्लास्टिक मशिरति हस्तनरिमति कागज़ हेतु [पेटेंट](#) पंजीकरण किया है।

प्रमुख बादु



- प्लास्टिक-मशिरति हस्तनरिमति कागज़ (जो पुनः प्रयोज्य और प्रयावरण के अनुकूल है) को प्रोजेक्ट रपिलान (प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना) के तहत वकिसति किया गया था।
 - [संवच्छ भारत अभियान](#) के लिये KVIC की प्रतबिधिता के हस्तिके सूप में इस परियोजना को सत्रिंबर 2018 में लॉन्च किया गया था।
 - इसका उद्देश्य 20:80 के अनुपात में कपास फाइबर रैग के साथ संसाधनी और उपचारित प्लास्टिक कचरे को मिलाकर कैरी बैग बनाना है।
 - यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है, जहाँ प्लास्टिक कचरे को डिस्ट्रक्चरड, डिग्रेडेड, डाइलूटेड किया जाता है तथा इसे हस्तनरिमति कागज़ बनाते समय पेपर पल्प के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति से प्लास्टिक कचरे को कम करने में सहायता मिलती है।
- यह उपलब्धि [संगील यूज प्लास्टिक](#) के खतरे से लड़ने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवान के अनुरूप है।
- अपशिष्ट-प्लास्टिक मशिरति हस्तनरिमति कागज़ के उत्पादन से दोहरे उद्देश्यों की पूरत होने की संभावना है:
 - प्रयावरण की रक्षा
 - स्थायी रोजगार के अवसरों का सृजन
- खादी और ग्रामोदयोग आयोग द्वारा वकिसति तकनीक उच्च एवं नमिन घनत्व वाले अपशिष्ट पॉलीथिन दोनों का उपयोग करती है, जो न केवल कागज़ को अतरिकित मज़बूती देती है बल्कि लिागत को 34 प्रतशित तक कम करती है।
- KVIC ने प्लास्टिक मशिरति हस्तनरिमति कागज़ का उपयोग करके कैरी बैग, लाफिए, फाइल / फोल्डर आदि जैसे कई उत्पाद वकिसति किये हैं।

पेटेंट

- पेटेंट, सरकार द्वारा पेटेंट कराने वाले को सीमति समय के लिये आवधिकार हेतु दिया गया एक वैधानिक अधिकार है, पेटेंट के तहत उत्पाद बनाने,

उपयोग करने, बेचने, आयात करने तथा दूसरों को सहमती के बना उन उद्देश्यों हेतु उत्पाद का उत्पादन करने की प्रक्रिया से बाहर कर आवधिकार का पूरण स्वामित्व प्राप्त करता है।

- भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधिप्रेटेंट हेतु आवेदन करने की तिथि से 20 वर्ष तक है।
- भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 और पेटेंट नियम, 2003 द्वारा संशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 के माध्यम से शास्ति है।
- बदलते प्रविश के अनुरूप पेटेंट नियमों में नियमित रूप से संशोधन किया जाता है, जैसे - हालिया संशोधन 2016 में।
- पेटेंट संरक्षण एक क्षेत्रीय अधिकार है, इसलिये यह केवल भारतीय क्षेत्र में ही प्रभावी है।
 - वैश्वकि पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं है।
 - पेटेंट प्रत्येक देश में प्राप्त किया जाना चाहिये जहाँ आवेदक को अपने आवधिकार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

खादी और ग्रामोदयोग आयोग (KVIC)

- खादी और ग्रामोदयोग आयोग 'खादी एवं ग्रामोदयोग आयोग अधिनियम, 1956' के तहत एक सांवधिक निकाय (Statutory Body) है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोदयोगों की स्थापना तथा विकास के लिये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत कार्य करता है।
- KVIC से संबद्ध परमुख पहलें:
 - [हनी मशिन पहल](#)
 - [प्रोजेक्ट बोल्ड](#)
 - लेदर मशिन
 - [ग्रामोदयोग विकास योजना](#)
 - [कुम्हार सशक्तीकरण योजना \(KSY\)](#)

ई-जेल परियोजना E-Prisons Project

गृह मंत्रालय (MHA) ने ई-जेल परियोजना (E-Prisons Project) के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

- साथ ही गृह मंत्रालय के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैटल हेलथ एंड न्यूरोसाइंस' (नमिहांस) ने [कैदियों और जेल करमचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन के लिये दिशा-निरिदेश](#) जारी किये हैं।

प्रमुख बाढ़ि

संदर्भ:

- इस परियोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कम्प्यूटरीकरण करना है। इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है।
- इंटर-ऑपरेबल क्रमिनिल जस्टिस सिस्टम के तहत ई-जेल डेटा को पुलसि और कोर्ट सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है।
- ई-जेल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसके 3 घटक हैं:
 - **ई-जेल प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS):** इसका उपयोग जेलों में दिन-प्रतिविधियों के लिये किया जाता है।
 - **राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल:** यह एक नागरिक केंद्रता पोर्टल है जो देश की विभिन्न जेलों के सांख्यिकीय आंकड़े प्रदर्शित करता है।
 - **कारा बाजार:** देश की विभिन्न जेलों में बंदियों द्वारा नियमित उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिये पोर्टल।

इंटर-ऑपरेबल क्रमिनिल जस्टिस सिस्टम:

- यह पुलसि, फोरेंसिक, अभियोजन, अदालतों, जेलों सहित आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी संस्थाओं की सूचना के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिये एक सामान्य मंच है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य संतंभों के बीच आवश्यक जानकारी साझा करने में होने वाली तक्षणियों और लगने वाले समय (जो प्रायः बड़ी चुनौतियों का कारण बनता है जैसे- परीक्षण की लंबी अवधि, खराब सजा, दस्तावेजों का पारगमन नुकसान आदि) को कम करना है।
- बार-बार और आदतन यौन अपराधियों की पहचान करने तथा उन्हें ट्रैक करने के लिये यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस National Database on Sexual Offenders- NDSO) जैसी सुविधा ICJS परिवर्तन से प्राप्त होने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण लाभ हैं।

कारागार/'उसमें निदृष्ट व्यक्ति'

- यह भारत के संवधान की सातवीं अनुसूची की सूची ॥ की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य का विषय है।
- जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायतिव है।
- हालाँकि गृह मंत्रालय जेलों और कैदियों से संबंधित वभिन्न मुददों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नियमित मार्गदरशन और सलाह देता है।
- सुपरीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में जेलों में भीड़भाड़, दोषियों को कानूनी सलाह की कमी से लेकर छूट और पैरोल के मुददों तक वभिन्न समस्याओं की जाँच के लिये जस्टसि रॉय कमेटी की नियुक्ति की थी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-06-august-2021>

